

न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी- राज. सरकार जरिए पटवारी हल्का कालेदडा

अप्रार्थी- श्री बाबूलाल डी० मंगराम खोसी निवासी कालेदडा अन्तर्गत  
धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 134/19

निर्णय दिनांक- 18.7.19

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कालेदडा  
ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी. पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा संवत् 2075 में  
सरहद कालेदडा के खसरा नम्बर 272 में किस्म गो० प्र. शमशान  
में रकबा ००३ भूमि में पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है  
जिस पर वाद धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को  
वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बाबूलाल ने दिनांक 18.6.19  
को उपस्थित होकर प्रवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का  
अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का मौजा कालेदडा के खसरा नम्बर 272  
किस्म गो० प्र. शमशान में रकबा ००३ की भूमि पर अतिक्रमण किया  
जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से  
वेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रुपये प्रति हैक्टैयर  
की दर से अतिक्रमित रकबा ००३ भूमि के ०१८ रुपये लगान का 50  
गुणा 10 /- अक्षरे दस रुपये रुपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता  
है। जुर्माना राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली  
हेतु लिखा जाये। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक  
रूप से वेदखल कर पालाना रिपोर्ट पेश।

निर्णय आज दिनांक- 18.7.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा  
उप तहसीलदार पीलवा